न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 05/2016 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00227

उनवान

राजवीर पुत्र प्रेम सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम एक्टा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रनवीर सिंह पुत्र परसादी जाति ठाकुर निवासी ग्राम एक्टा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....असल रेस्पोडेण्ट

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बसेडी।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बौरेली तहसील बसेडी जरिये प्रबंधक।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बसेडी दि0 29.07.2010 प्र.सं. 14/2009 उनवानी रनवीर बनाम राजवीर।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विनोद भार्गव उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित ।

निर्णय दिनांक–12.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम एक्टा तहसील बसेडी में स्थित है। जिसमें रैस्पो0/वादी तथा अपीलाण्ट/प्रतिवादी 1/2–1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हैं तथा संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। अपीलाण्ट/प्रतिवादी विवादित आराजी को लेकर रैस्पो0/वादी से आये दिन झगडा करते हैं एवं विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हैं। अपीलाण्ट/प्रतिवादी की उक्त धमकी से रैस्पो0/वादी के मन में भय पैदा हो गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी के बॅटवारे एवं अपने 1/2 हिस्से का पृथक से खाता कायम कर, अपीलाण्ट/प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 24.09.2009 को प्राथमिक डिक्री करते हुए, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये एवं तहसीलदार बसेडी से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों अनुसार, बाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुनवाई एक पक्षीय, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानो के विपरीत है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार बसेडी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिये नियुक्त किया था। नायब तहसीलदार बसेडी का यह कर्तव्य था कि वह पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर एवं स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते। किन्तु नायब तहसीलदार बसेडी ने ना तो पक्षकारान को कोई सूचना ही दी एवं ना ही स्वयं मौके पर गये। पटवारी हल्का ने रैस्पो0/वादी से साज कर मनमाने तरीके से विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया एवं ना ही कुर्रे प्रस्तावों पर अपीलाण्ट को आपत्ति पेश करने का कोई मौका ही दिया। कुर्रे प्रस्तावो पर अपीलाण्ट के फर्जी हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। मियाद बाबत् उनका कथन है कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है। अतः जानकारी की दिनांक से अपील मियाद अन्दर मय शपथ–पत्र प्रस्तुत की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में आर0आर0टी0 2017(1) पेज 689 का हवाला देते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, प्रकरण पुनः विधिसम्मत विभाजन प्रस्ताव तलब कर, निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाना का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। नायब तहसीलदार द्वारा कुर्रे प्रस्ताव बाबत् सभी पक्षकारो को पूर्व सूचना दी जाकर, पक्षकारो की सहमति एवं मौजूदगी में स्वयं ने विभाजन प्रस्ताव तैयार किये हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने कुर्रो को गहनता से अवलोकन करते हुए विभाजन के नियमों को ध्यान में रखकर, पक्षकारो की सहमति से, अच्छी में सें अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का सही बॅटवारा किया है। कुर्रो पर फर्जी हस्ताक्षर बाबत् अपील में कोई कथन नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गयी है एवं देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रे प्रस्ताव स्वयं नायब तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं उक्त कुर्रे प्रस्तावों पर नायब तहसीलदार द्वारा CS अंकित करते हुए, हस्ताक्षर किया जाना जाहिर है। नियमानुसार विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन हेतु प्रस्तावो का तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण व जोतों के विभाजन हेतु प्रपोजल तैयार करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं प्रत्येक हिस्से पर लगान कायम कर, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2010 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारो को सूचित करते हुए, विभाजन के नियमों अनुसार पुनः कुर्रेजात रिर्पोट तैयार करावें एवं कुर्रेजात पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विधि अनुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.07.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official